भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2062

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी)

2062. श्री धर्मबीर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के परामर्श से चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्रवक्ताओं के लिए एक मानक वेतनमान निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सहायक प्रवक्ताओं के उच्चतर के लिए करियर प्रोन्नति हेतु समय-सीमा, मानदण्ड और प्रक्रियाओं सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के साथ तैयार की गई चिकित्सा महाविद्यालय संकाय के लिए कोई अनुमोदित पदोन्नति योजना विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समय पर और संरचित करियर प्रोन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुरूप चिकित्सा संकाय हेतु डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) जैसी गतिशील करियर प्रोग्रेशन योजनाएं लागू की जा रही हैं और यदि हां, तो इन योजनाओं के विशिष्ट प्रावधान क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त उन विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध कराई है जो वर्तमान में अपने संकाय सदस्यों के लिए डीएसीपी योजनाओं अथवा इसी प्रकार की करियर प्रोग्रेशन फ्रेमवर्क कार्यान्वित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के तहत उच्चतर शिक्षा में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए मानक वेतनमान विनिर्दिष्ट किए हैं। तथापि, उक्त विनियमों के खंड (1.1) के तहत, यह स्पष्ट किया गया

है कि विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा के संबंध में विधाओं अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य, चिकित्सा,विशेष शिक्षा, कृषि, पशु और संबद्ध क्षेत्रों,तकनीकी शिक्षा, अध्यापक शिक्षा में शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के प्रयोजनार्थ विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानदंड या मानक प्रचलित होंगे।

संघ सरकार के नियंत्रणाधीन मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों के वेतनमान का विवरण निम्नानुसार है:

(i) एम्स दिल्ली; जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) पुदुचेरी; स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़, अन्य सभी एम्स और पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान (एनईआईजीआरआईएचएमएस) शिलांग जैसे संस्थान:-इन संस्थानों के लिए पे मैट्रिक्स का पे लेवल-12 विनिर्दिष्ट है।

(ii) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) इम्फाल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) जैसे केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजः- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स का पे लेवल-11 विनिर्दिष्ट है।

(ख) और (ग): केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन मेडिकल कॉलेजों में संकाय के लिए पदोन्नति योजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(i) एम्स दिल्ली; जिपमेर, पुदुचेरी; पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़, अन्य सभी एम्स और एनईआईजीआरआईएचएमएस शिलांग जैसे संस्थान मूल्यांकन पदोन्नोति योजना (एपीएस) का अनुपालन करते हैं जिसके अंतर्गत सहायक प्रोफेसर से आगे समयबद्ध पदोन्नतियां की जाती हैं। एपीएस के अंतर्गत पदोन्नतियां मूल्यांकन बोर्ड/आंतरिक स्क्रीनिंग समिति और स्थायी चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के अध्यधीन हैं।

(ii) रिम्स इम्फाल टाइम स्केल प्रमोशन (टीएसपी) योजना का अनुपालन करता है जिसके अंतर्गत सहायक प्रोफेसर से आगे समयबद्ध पदोन्नति की जाती है। टीएसपी के तहत पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अधीन हैं।

(iii) केन्द्र सरकार के मेडिकल कॉलेज अर्थात् एबीवीआईएमएस, वीएमएमसी और एलएचएमसी डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) योजना का अनुपालन करते हैं जिसके तहत सहायक प्रोफेसर से आगे समयबद्ध पदोन्नति की जाती है। डीएसीपी के अंतर्गत पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा मूल्यांकन के अध्यधीन हैं।

(घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों नामतः बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने चिकित्सा संकाय में शिक्षण उप-संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों के लिए डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम कार्यान्वित की है।

****